

विषय—वस्तु

क्र.	विवरण	पृष्ठ
1.	प्रधानाध्यापक का संदेश	2
2.	महाविद्यालय	3
3.	पाठ्यक्रम की सूची	4
4.	दाखिला के लिए योग्यताएं	5
5.	आरक्षण पद्धति	5
6.	प्रवेश की प्रक्रिया	6—9
7.	विदेशी उम्मीदवार	8
8.	दाखिला के समय आवश्यक दस्तावेज	8
9.	शिक्षण सारणी	9
10.	परिचय पत्र	9
11.	पुस्तकालय	9
12.	कम्प्यूटर की सुविधा	9
13.	शुल्क का भुगतान	9—10
14.	नए विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शुल्क भुगतान के निर्देश	9
15.	शुल्क संरचना	10
16.	II और III वर्ष के छात्रों के ऑनलाइन शुल्क भुगतान के निर्देश	10—11
17.	दाखिला एवं शुल्क वापसी	11
18.	उपस्थिति से संबन्धित नियम और अधिनियम	11
19.	आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति	11
20.	पुरस्कार	12
21.	खेलकूद	12
22.	एन.सी.सी.	13
25.	सामान्य नियम	13
26.	अनुशासन और अध्यादेश	14.15
27.	प्राध्यापकों की सूची	18.19
28.	गैर—शिक्षण कर्मचारियों की सूची	19
29.	महत्वपूर्ण तिथियां	20
30.	शैक्षिक वर्ष 2018—19 का प्रवेश कार्यक्रम	21



प्रधानाध्यापक का संदेश

आपका मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्य) में मैं और मेरे सहकर्मी स्वागत करते हैं।

एक अच्छे समाज के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और बुद्धि चरित्र निर्माण, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास और बौद्धिक क्षमता का विस्तार करता है। महाविद्यालय का छात्र जीवन केवल अध्ययन से जुड़ा नहीं है बल्कि यह सम्पूर्ण विकास का एक सुनहरा अवसर होता है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को एक पाठ्यक्रम/विषय किसी के कहने पर नहीं चुनना चाहिए, बल्कि इसमें अपनी पसंद और रुचि और आपके पास इसके लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। आपकी सहज योग्यता और प्रतिभा को महाविद्यालय के अत्यधिक योग्य शिक्षक और आगे बढ़ायेंगे। बेशक, आपके द्वारा अर्जित अंक एक सीमित कारक हैं, फिर भी आपको केवल अपनी रुचि के वैकल्पिक विकल्प के लिए जाना चाहिए। महाविद्यालय की पसंद की तुलना में पाठ्यक्रम की पसंद प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि यह केवल पाठ्यक्रम की पसंद है जो आपको बाद में योग्य कैरियर बनाने में सक्षम बनाता है। आपको मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्य) सांस्कृतिक और अकादमिक समाजों और खेल-कूद के माध्यम से शिक्षित गतिविधियों में भाग लेने के लिए अनेकों अवसर प्रदान करता है। कक्षा के कमरे के व्याख्यान के अलावा, छात्रों को बहस, कविता या साहित्यिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास कर सकें और रचनात्मक रूप से सोचने और अच्छे संचार कौशल की योग्यता को विकसित कर सकें। महाविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है कि उसके सभी छात्र राष्ट्र के लिए एक संपत्ति हो।

प्रशासनिक समिति, प्रधानाचार्य और मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्य) के शिक्षक आपका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि महाविद्यालय में आपके तीन साल सुखद, यादगार और फलदायी होंगे। आशा है कि आप अपनी उपलब्धियों से अपने माता-पिता और शिक्षकों को गौरवान्वित करेंगे।

डॉक्टर विचित्रा
प्रधानाचार्य

मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्य) दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिणी परिसर

मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय (सांध्य) की स्थापना जुलाई 1965 में की गयी थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक महाविद्यालय है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के निकटवर्ती आनंद निकेतन के सामने वाले वेनितों जुआरेज़ मार्ग पर स्थित है। संस्थाप प्रधानाध्यापक प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉ. आर.के. भान के बाद डॉ. सुरेश सी. शर्मा, डॉ. बी.के. शर्मा, और डॉ. एस.के. शर्मा जैसे अन्य प्रधानाध्यापकों ने महाविद्यालय के भविष्य निर्माण का मार्गदर्शन करते हुए इसके विकास और वृद्धि के लिए कार्यरत रहे। महाविद्यालय विभिन्न लोकप्रिय पाठ्यक्रमों जैसे B.A. (Programme), B.A. (H) English, B.A. (H) Hindi, B.A. (H) History, B.A. (H) Pol. Science, B.Com, B.Com (H) में त्रिवर्षीय स्नातक कार्यक्रमों में शिक्षित करने के साथ-साथ छात्रों के चरित्र निर्माण और उनको एक तार्किक, उत्तरदायी और आत्मनिर्भर मनुष्य बनाने के लिए नैतिक मूल्यों के विकास पर भी जोर देती है। संस्था के जीवंत शैक्षिक जीवन में छात्रों के समाजों/संगठनों/ मंडलियों का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न विषयों के विभागीय समाज/संघ विद्यार्थियों और साथ-साथ शिक्षकों के ज्ञानवर्धन के लिए भाषणों, सेमिनारों, और विवादों का आयोजन करती है। महाविद्यालय की अपनी एक अच्छी तरह से निर्मित एवं सुसज्जित पुस्तकालय है जिसमें 68,000 से अधिक पुस्तकें, पत्रिकाएं और पाठ्यसामग्रियां उपलब्ध हैं। महाविद्यालय ने पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के लिए सॉफ्टवेयर एवं वार-कोड मशीन की व्यवस्था की है। 40 कम्प्यूटर बाले पूरी तरह वातानुकूलित कक्ष में स्थापित ई-संसाधन केंद्र के अलावा पूरी तरह वातानुकूलित आधुनिक सॉफ्टवेयर के साथ एक नया कम्प्यूटर लैब भी स्थापित किया गया है जिसमें एक कम्प्यूटर वरिष्ठ तकनीकी सहायक के देखभाल में 70 से अधिक कम्प्यूटर हैं। सांध्य महाविद्यालय की अपनी समस्याएं होने के बावजूद, यह फूटबाल, हॉकी, और वॉलीबॉल आदि खेलों में विश्वविद्यालय स्तर पर रेकॉर्ड बनाए हुए है।



पाठ्यक्रम की पेशकश

दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमवाली के अनुसार महाविद्यालय निम्नलिखित स्नातक पाठ्यक्रम की पेशकश कर रहा है :

Courses	Total Sanctioned Seats	GEN	SC 15%	ST 7.5%	OBC 27%	EWS 10%	Supernumerary Seats			
							PWD 5%	SPORTS 4%	ECA 1%	Wards of Kashmiri Migrants 5%
B.A. (Programme)	407	186	61	31	110	19	20	17	4	20
B.A. (H) English	35	16	5	3	9	2	2	1	0	2
B.A. (H) Hindi	35	16	5	3	9	2	2	1	0	2
B.A. (H) History	53	24	8	4	14	3	3	2	1	3
B.A. (H) Pol. Science	53	24	8	4	14	3	3	2	1	3
B.Com	101	46	15	8	27	5	5	4	1	5
B.Com (H)	68	31	10	5	18	4	3	3	1	3

TOTAL	752	343	112	58	201	38	38	30	8	38
--------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

नोट : प्रत्येक श्रेणी के आरक्षण निर्धारित प्रतिशत के अनुसार रखा गया है और कुल आरक्षण कुल स्थानों के 50% से अधिक नहीं है।

प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यताएं

आवश्यक आयु : प्रवेश के उम्र की कोई सीमा नहीं है।

तथापि, अन्य अधिनियमों के लिखित आदेश के अनुसार, व्यक्ति जो नैतिक अधमता के लिए दोषी पाया गया है, वो अपनी सजा की समाप्ति की तिथि के दो वर्षों के पश्चात ही दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के योग्य समझा जाएगा या विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

विषयों की सूची

सूची A: भाषा विषय					
सूची A1					सूची A2
Assamese Core/ Assamese Elective	Gujarati Core/ Gujarati Elective	Maithili Core/ Maithili Elective	Odia Core/ Odia Elective	Tamil Core/ Tamil Elective	Arabic Core/ Arabic Elective
Bengali Core/ Bengali Elective	Hindi Core/ Hindi Elective	Malayalam Core/ Malayalam Elective	Punjabi Core/ Punjabi Elective	Telegu Core/ Telegu Elective	French Core/ French Elective
Bodo Core/ Bodo Elective	Kannada Core/ Kannada Elective	Manipuri Core/ Manipuri Elective	Sanskrit Core/ Sanskrit Elective	Urdu Core/ Urdu Elective	German Core/ German Elective
Dogri Core/ Dogri Elective	Kashmiri Core/ Kashmiri Elective	Marathi Core/ Marathi Elective	Santhali Core/ Santhali Elective		Italian Core/ Italian Elective
English Core/ English Elective	Konkani Core/ Konkani Elective	Nepali Core/ Nepali Elective	Sindhi Core/ Sindhi Elective		Spanish Core/ Spanish Elective

सूची B (अकादमिक / ऐच्छिक विषय)		
लेखाशास्त्र	कम्प्युटर विज्ञान	गणित
मानव विज्ञान	अर्थशास्त्र	दर्शनशास्त्र/तर्कशास्त्र
जीवविज्ञान / जैवप्रौद्योगिकी/जीवरसायन	भूगोल	भौतिकी
व्यापार गणित	भूविज्ञान	राजनीतिविज्ञान
रसायनशास्त्र	इतिहास	मनोविज्ञान
नागरीकशास्त्र	गृहविज्ञान	समाजशास्त्र
वाणिज्य / व्यापार अध्ययन	न्यायविज्ञान	सांख्यिकी

कला/सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से प्रस्तुत पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश (सर्वोत्तम चार विषयों के अंको की गणना में अधिकतम दो भाषा विषयों की अनुमति दी जा सकती है ।)

पाठ्यक्रम	अतिरिक्त पात्रता मानदंड और पाठ्यक्रम के लिए विषय-वार संयोजन मेरिट सूची
BA (H) अँग्रेजी	योग्यता परीक्षा में कुल 45% अंक

	<p>योग्यता का निर्धारण सबसे अधिक अंक प्राप्त एक भाषा और सर्वोत्तम तीन चयनित विषयों के आधार पर होगा।</p> <p>उम्मीदवार अंग्रेजी को अवश्य पढ़ा और उत्तीर्ण किया हो। सर्वोत्तम चार विषयों के प्रतिशत की गणना में अंग्रेजी को जोड़ा जाएगा।</p>
B.A. (Hons.) हिन्दी	<p>योग्यता परीक्षा में कुल 45% अंक</p> <p>अभ्यर्थी 40% कुल अंक और संबंधित विषय में 50% अंक बाले भी हिन्दी (Hons.) में प्रवेश के लिए योग्य होंगे।</p> <p>योग्यता का निर्धारण सबसे अधिक अंक प्राप्त एक भाषा और सर्वोत्तम तीन चयनित विषयों के आधार पर होगा। B.A. (Hons.) हिन्दी में प्रवेश के लिए, उम्मीदवार हिन्दी को अवश्य पढ़ा और उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>सर्वोत्तम चार विषयों के प्रतिशत की गणना में हिन्दी का अंक जोड़ा जाना चाहिए।</p> <p>वे आवेदक जो कुल मिलाकर कम से कम 40 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय / बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और हिन्दी में प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भी प्रवेश के पात्र होंगे।</p>
B.A. (Hons.) इतिहास और राजनीति विज्ञान	<p>योग्यता परीक्षा में कुल 45% अंक</p> <p>योग्यता का निर्धारण सबसे अधिक अंक प्राप्त एक भाषा और सर्वोत्तम तीन चयनित विषयों के आधार पर होगा।</p>
B.A. (PROG.) (Discipline Subject-based Admission Criteria)	<p>योग्यता परीक्षा में कुल 40% अंक</p> <p>योग्यता का निर्धारण सबसे अधिक अंक प्राप्त एक भाषा (Core/Elective/Functional) और सर्वोत्तम तीन चयनित अकादमिक/ऐच्छिक विषयों के आधार पर होगा।</p> <p>BA (Prog) में प्रवेश के लिए स्ट्रीम बदलने पर कोई नुकसान नहीं है जिसका अर्थ है कि वाणिज्य और विज्ञान स्ट्रीम से कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान में आने पर कुल अंकों में कटौती नहीं की जाएगी।</p> <p>एक गैर-सूचीबद्ध विषय (सूचियों ए और बी में वैकल्पिक विषयों के अलावा) को सर्वोत्तम चार की गणना में बिना किसी कटौती के शामिल किया जा सकता है।</p> <p>यदि सर्वोत्तम चार विषय की गणना में एक से अधिक गैर-सूचीबद्ध विषय शामिल हैं तो प्रत्येक में 2.5% की कटौती की जा सकती है।</p>

वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन संकाय के माध्यम से प्रस्तुत पाठ्यक्रमों में मेरिट आधारित प्रवेश

BCom (H)	<p>योग्यता परीक्षा में कुल 45% अंक</p> <p>उम्मीदवार गणित/व्यापार गणित को अवश्य पढ़ा और उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित के अनुसार एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ विषय शामिल हैं:</p> <p>अंग्रेजी/हिंदी में 45% या उससे अधिक और निम्नलिखित विषयों में सर्वश्रेष्ठ तीन का संयोजन: गणित लेखा अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन/वाणिज्य।</p> <p>ऊपर लिखित विषयों के अलावा सूची बी से किसी भी विषय को सबसे अच्छे तीन के संयोजन में शामिल करने से प्रति विषय पर 1% की कटौती होगी।</p> <p>यदि सर्वोत्तम चार विषय की गणना में सूचियों ए और बी में वैकल्पिक विषयों के अलावा विषय शामिल हैं तो प्रत्येक में 2.5% की कटौती की जा सकती है।</p>
BCom	<p>योग्यता परीक्षा में कुल 40% अंक</p> <p>योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित के अनुसार एक भाषा और तीन सर्वश्रेष्ठ विषय शामिल हैं:</p> <p>अंग्रेजी/हिंदी में 40% या उससे अधिक और निम्नलिखित विषयों में सर्वश्रेष्ठ तीन का संयोजन: गणित लेखा अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अध्ययन/वाणिज्य।</p> <p>ऊपर लिखित विषयों के अलावा सूची बी से किसी भी विषय को सबसे अच्छे तीन के संयोजन में शामिल करने से प्रति विषय पर 1% की कटौती होगी।</p> <p>यदि सर्वोत्तम चार विषय की गणना में सूचियों ए और बी में वैकल्पिक विषयों के अलावा विषय शामिल हैं तो प्रत्येक में 2.5% की कटौती की जा सकती है।</p>

योग्यता परीक्षा के अंतर्गत आवेदक को भारत में किसी भी बोर्ड / विश्वविद्यालय की 12वीं की परीक्षा या विदेश में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 के समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

योग्य SC/ST, EWS, OBC, और विकलांग छात्र फरवरी में इस शैक्षिक सत्र के लिए अपनी छात्रवृत्ति का आवेदन करें। विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी इसको सूचित किया जा सकता है।

आरक्षण पद्धति

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% स्थान आरक्षित होंगे।

ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पारित नियमों के अनुसार ओबीसी श्रेणी के छात्रों का प्रवेश होगा। उम्मीदवार के ओबीसी स्थिति का निर्धारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी ओबीसी जातियों की केंद्रीय सूची के आधार पर होगा जो कि कमीशन के निम्न वेबसाइट पर उपलब्ध है : (<http://ncbc.nic.in/backwardclasses/index.html>)

मान्य गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2018-19 वाली होगी जिसे 31 मार्च 2019 के बाद जारी किया गया होगा।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण

भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं 20013/01/2018 दिनांक 17-01-2019 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण देने का निर्णय लिया। प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफार्मा (हमारे कॉलेज की वेबसाइट परिशिष्ट-5 देखें) पर एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कार्यालय ज्ञापन संख्या ३६०३९/१/२०१९-एस्टट (आरईएस) दिनांक ३१/01/2019 में उल्लेखित सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत जारी किया गया हो।

खेलकूद कोटा

विभिन्न खेलों में प्रदर्शन के अनुसार कुल स्थानों का 5% सीट प्रवेश के लिए आरक्षित होगा।

ईसीए कोटा

कुल सीटों का 1% विभिन्न कार्यक्रमों यानी क्रिएटिव राइटिंग डांस डिबेट म्यूजिक (वोकल) थिएटर में प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश के लिए आरक्षित होगा। ईसीए आवेदकों का प्रवेश उनके द्वारा उल्लेखित पाठ्यक्रमों और कॉलेजों की प्राथमिकताओं के आधार पर केंद्रीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया जाएगा।

कश्मीरी प्रवासियों के वार्ड का प्रवेश

कश्मीरी प्रवासियों के वार्ड के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 5% स्थान आरक्षित है जिसमें प्रवेश महाविद्यालय द्वारा घोषित कूट-ऑफ के अनुसार होगा।

लड़कियों का दाखिला

महाविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लड़कियों को कुल आवश्यक अंक में 1% की छूट दी जाएगी।

दिव्यांगों/विकलांगों को छूट

दिव्यांगों/विकलांगों की स्थिति के अनुसार मेधा सूची में अधिकतम 4% छूट देकर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।

प्रवेश की प्रक्रिया

महाविद्यालय के वेबसाइट (www.mlncce-org) और सूचना-पट्ट पर इस पुस्तिका के पीछे अंकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कट ऑफ प्रतिशत सूची प्रकाशित किया जाएगा।

सर्वोत्तम चार विषयां की गणना के लिए मुख्य बातें

प्रवेश 2019–20

अनुलग्नक बारहवीं: पीसीएम / पीसीबी / सर्वश्रेष्ठ चार की गणना के लिए उदाहरण

<p>Example 1: If an applicant has scored: Physics 90 (theory 50, practical 40; max. marks theory 60, practical 40), Chemistry 91 (theory 52, practical 39; max. marks theory 60, practical 40), English (90) and Mathematics (95), Physical Education (92).</p> <p>Physics and Chemistry have less than 70% theory component and must be converted to 70:30. For Physics, it is $58.33+30 = 88.33$; For Chemistry, it is $60.66+29.25 = 89.91$.</p> <p>Therefore, Total marks in PCM are: $88.33+89.91+95=273.24 = 91.08\%$ and PCME are: $88.33+89.92+95+90 = 363.25 = 90.81\%$.</p>	<p>Example 2: If an applicant has scored: Physics 88 (theory 45, IA 14, practical 29; max. marks theory 56, IA 14, practical 30), Chemistry 92 (theory 48, IA 14, practical 30; max. marks theory 56, IA 14, practical 30), English (90) and Biology 95 (theory 51, IA 14, practical 30; max. marks theory 56, IA 14, practical 30).</p> <p>Mathematics 92. Physics, Chemistry and Biology have less than 70% theory component and must be converted to 70:30.</p> <p>For Physics, it is $56.25+29 = 85.25$; For chemistry, it is $60+30= 90$; For biology, it is $63.75+30= 93.75$. The PCB is 89.77% ; PCM is 89.19%</p>
<p>Example 3: If an applicant has scored: Accountancy (90), Legal Studies (92), English (88) and Economics (94). Total marks in four subjects are $90+92+88+94=364$, Percentage is 91%.</p> <p>The effective percentage for: B.A. (Hons.) English is $91\% -1\% = 90\%$ (1%</p>	<p>Example 4: If an applicant has scored: Physics (96), Chemistry (92), English (90) and Mathematics (94), Economics (83).</p> <p>Case1: Total marks in four subjects are $96+92+90+94=372$, Percentage is 93%. The effective percentage for:</p>
<p>deduction for including Accountancy in best four).</p> <p>Not eligible for B.A. (Hons.) Economics, (Mathematics not studied and passed).</p> <p>B.A. (Hons.) Political Science is $91\% - 1\% = 90\%$ (1% deduction for not including Political Science in best four)</p>	<p>B.A. (Hons.) History is $93\% - 1\% = 92\%$ (1% deduction for not including History in best four)</p> <p>B.A. (Hons.) English is $93\% - 2\% = 91\%$ (1% deduction for Physics and 1% deduction for including Chemistry in best four)</p> <p>B.A. (Hons) Economics is $93\%-1\% = 92\%$ (1 % deduction for not including Economics).</p> <p>Case2: Total marks in four subjects are $96+90+94+83=363$, Percentage is 90.75%. The effective percentage for:</p> <p>B.A. (Hons.) Economics is 90.75%</p> <p>Comparing Case1 & Case2, Best Four for B.A. (Hons.) Economics is 92%</p>

<p>Example 5: If an applicant has scored: Accounts (88), English (92), Punjabi (90), Mathematics (82) and Web Designing (96).</p> <p>Case1:Total marks in four subjects are $88+92+90+96=366$, Percentage is 91.5%.</p> <p>The effective percentage for: B.A. (Hons.) History is $91.5\% - 1\% - 2.5\% = 88\%$ (1% deduction for not including History and 2.5% for including web designing)</p> <p>B.A. (Hons.) Punjabi is $91.5\% - 2.5\% = 89\%$ (2.5% for including web designing)</p> <p>B.A. (Hons.) English is $91.5\% - 1\% - 2.5\% = 88\%$ (1 % deduction for Accounts and 2.5% for web designing)</p> <p>Case2: Total marks in four subjects are $88+92+90+82=352$, Percentage is 88%.</p> <p>The effective percentage for:B.A. (Hons.) Punjabi is 88%</p> <p>Comparing Case1 & Case2, Best Four for B.A. (Hons.) Punjabi is 89%.</p> <p>B.A. (Hons.) English is $88\%-1\% = 87\%$ (1% deduction for including Accounts).</p> <p>Comparing Case1 & Case2, Best Four for</p>	<p>Example 6: If an applicant has scored: Accounts (90), Business Studies (92), English (88) and Home Science (94), Mathematics (85).</p> <p>Total marks in four subjects are $90+92+88+94=364$, Percentage is 91%.</p> <p>The effective percentage for: B.A. (Hons.) Psychology is $91\% - 1\% = 90\%$ (1% deduction for not including Psychology)</p> <p>B.A. (Hons.) Economics are $92+88+94+85=359$, Percentage is $89.75\% - 1\% = 88.75\%$ (1% deduction for not including Economics).</p>
<p>B.A. (Hons.) English is 88%.</p>	

<p>Example 7: If an applicant has scored: Physics (85), Chemistry (92), English Core (90), Biology (85) and Mathematics (75).</p> <p>Total marks in Best four are: $85+92+85+90=352$.</p> <p>The percentage is 88%</p> <p>The effective percentage for: B.A. (Hons.) English is $88\% - 2\% = 86\%$ (maximum deduction is 2% for including Physics, Chemistry and Biology).</p> <p>B.A. (Hons.) Political Science is $88\% - 1\% = 87\%$ (1% deduction for not including Political Science).</p>	<p>Example 8: If an applicant has scored: English Elective (92), History (65), Political Science (85), Geography (89) and Home Science (90).</p> <p>Total Marks in four subjects are $92+85+89+90=356$, excluding History.</p> <p>The percentage is 89%. The effective percentage for: B.A. (Hons.) English is $89\% - 1\% = 88\%$ (1% deduction for including Home Science) B.A. (Hons.) Political Science is 89% B.A. (Hons.) History is $89 - 1\% = 88\%$ (1% deduction for not including History) B.A. (Hons.) Psychology is $89-1\% = 88\%$ (1% deduction for not including Psychology) B.A. (Hons.) Philosophy is 89%</p>
<p>Example 9: If an applicant has scored: Physics (96), Chemistry (92), English Core (90) and Mathematics (94).</p> <p>Total marks are $96+92+90+94=372$, Percentage is 93%.</p> <p>The effective percentage for both B.Com. (Hons.) & B.Com. (Prog.) is $93 - 2\% = 91\%$ (2% deduction for including Physics and Chemistry)</p>	<p>Example 10: If an applicant has scored: Accountancy (90), Business Studies (92), English Core (88) and Economics (94).</p> <p>Total marks are $90+92+88+94=364$, Percentage is 91%.</p> <p>Not eligible for B.Com. (Hons.)</p> <p>The effective percentage for B.Com.(Prog.) is 91%</p>
<p>Example 11: If an applicant has scored: Accountancy (88), English Core (92), Punjabi Elective (90), Mathematics (82) and Web Designing (96).</p> <p>The effective percentage for B.Com.(H) and B.Com.(Prog.) is:</p> <p>Case 1: Total marks are $88+92+90+96=366$, Percentage is 91.5%. The effective percentage is $91.5 - 1\% - 2.5\% =$</p>	<p>Example 12: If an applicant has scored: Accountancy (90), Business Studies (92), English Core (88), Home Science (94) and Mathematics (85).</p> <p>The effective percentage for B.Com.(H) and B.Com.(Prog.) is:</p> <p>Case 1: Total marks are $90+92+88+94=364$, Percentage is 91%.</p>

88 (1% deduction for including Punjabi Elective and 2.5% for including Web Designing)	The effective percentage is 91% – 1% = 90% (1% deduction for including Home Science)
Case 2: Total marks are 88+92+82+96= 358, Percentage is 89.5%	Case 2: Total marks are 90+92+88+85=355, Percentage is 88.75%.
The effective percentage is 89.5% - 2.5% = 87% (2.5% for including Web Designing)	The effective percentage is 88.75%
Case 3: Total marks are 88+92+82+90= 352, Percentage is 88%	Case 1 is the “best four”, so effective percentage for both B.Com. (Hons.) & B.Com. (Prog.) is 90%
The effective percentage is 88% - 1% = 87% (1% deduction for including Punjabi Elective)	
Case 1 is the “best four”, so effective percentage for both B.Com. (Hons.) & B.Com. (Prog.) is 88%	

आवेदक सिद्धान्त और प्रयोग दोनों में उत्तीर्ण होना चाहिए। सर्वोत्तम चार में जुड़ने वाले सभी सूचीबद्ध या असूचीबद्ध विषयों में कम से कम 70% सिद्धान्त भाग और 30% प्रयोग भाग का होना चाहिए। आवेदक ऑनलाइन प्रवेश पत्र में प्राप्त कुल अंक, एवं सिद्धान्त और प्रयोग का अधिकतम अंक उनकी मार्कशीट के अनुसार भरें। यदि सिद्धान्त/व्यावहारिक ब्रेकअप निर्दिष्ट नहीं है तो आवेदक को संबंधित सिद्धान्त/व्यावहारिक क्षेत्रों में शून्य दर्ज करने की आवश्यकता होगी और ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म में केवल कुल दर्ज करना होगा।

अगर कोई जुड़े हुए विषय में 70% सिद्धान्त और 30% प्रयोग का हिस्सा नहीं है तो कुल अंक को 70% और 30% के समानुपात में सिद्धान्त और प्रयोग के लिए बाँट दिया जाएगा।

समानुपातिक आधार पर 70% और 30% में कैसे बदले

अगर उम्मीदवार ने भौतिकी में 88 (सिद्धान्त 45, आंतरिक मूल्यांकन 14, प्रयोग 29; सिद्धान्त में अधिकतम अंक 56, आंतरिक मूल्यांकन 14, प्रयोग 30), रसायनशास्त्र में 92 (सिद्धान्त 48, आंतरिक मूल्यांकन 14, प्रयोग 30; सिद्धान्त में अधिकतम अंक 56, आंतरिक मूल्यांकन 14, प्रयोग 30), अंग्रेजी में 90 और जीवविज्ञान में 95 (सिद्धान्त 51, आंतरिक मूल्यांकन 14, प्रयोग 30; सिद्धान्त में अधिकतम अंक 56, आंतरिक मूल्यांकन 14, प्रयोग 30) और गणित में 92 अंक प्राप्त किया। भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान के अंकों में सिद्धान्त का भाग 70% से कम है जिसको निम्न प्रकार से 70:30 के समानुपात में बदला जाएगा:

भौतिकी के लिए $56.25+29 = 85.25$; $((45/56) \times 70+29) = 56.25+29 = 85.25$

रसायनशास्त्र के लिए $60+30 = 90$; $((48/56) \times 70+30) = 60+30 = 90$

विदेशी उम्मीदवार:

किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक सभी विदेशी उम्मीदवारों को डिप्टी डीन (विदेशी छात्र), सम्मेलन कक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय 110067 को आवेदन देने की आवश्यकता है, जो आयु और अन्य योग्यताओं को पूरा करता है: E-mail : dydean_fs@du.ac.in

प्रवेश के समय आवश्यक कागजात:

- एक प्रति विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदित दाखिला प्रपत्र का कम्प्यूटर प्रिंटआउट (स्व. अभिप्रमाणित).
- विदेशी नागरिकों, सैनिकों के बच्चों/विधवा आदि के प्रवेश के मामले में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अस्थायी पर्ची

- c. उम्मीदवार का पाँच वर्तमान पासपोर्ट आकार का फोटो
- d. कक्षा 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट (जन्म तिथि). (मूल प्रति के साथ दो स्व अभिप्रमाणित प्रतियाँ)
- e. कक्षा 10वीं का अंक तालिका (मूल प्रति के साथ दो स्व अभिप्रमाणित प्रतियाँ)
- f. कक्षा 12वीं का अस्थायी प्रमाण पत्र/उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (मूल प्रति के साथ दो स्व अभिप्रमाणित प्रतियाँ)
- g. कक्षा 12वीं का अंक तालिका (मूल प्रति के साथ दो स्व अभिप्रमाणित प्रतियाँ)
- h. चरित्र प्रमाण पत्र. (Recent) (मूल प्रति के साथ दो स्व अभिप्रमाणित प्रतियाँ)
- i. ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)/SC/ST/PWD/EWS प्रमाणपत्र (मूल प्रति के साथ चार स्व अभिप्रमाणित प्रतियाँ)
- j. Divisional Commissioner/Relief Commissioner के द्वारा जारी कश्मीरी प्रवासी के रूप निबंधित प्रमाणपत्र (मूल प्रति के साथ चार स्व अभिप्रमाणित प्रतियाँ)
- k. दिल्ली के बाहर वाले उम्मीदवार के लिए हस्तांतरण प्रमाण पत्र/स्थानांतरण प्रमाण पत्र. (मूल प्रति के साथ दो स्व अभिप्रमाणित प्रतियाँ)

नोट :

- i. महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध शेषसंग्रह-2, शेषसंग्रह-1, शेषसंग्रह-5, विकलांगता प्रमाणपत्र प्रारूप-II/प्रारूप-III/प्रारूप-IV निर्धारित प्रारूपों में ही SC/ST/OBC/PH/EWS श्रेणी के उम्मीदवारों सक्षम अधिकारियों (महाविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध शेषसंग्रह-3, शेषसंग्रह-4, एवं विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए चिकित्सा पदाधिकारी) द्वारा जारी प्रमाणपत्र केवल स्वीकार किए जाएंगे।
- ii. उम्मीदवार की जाति ओबीसी केन्द्रीय सूची में अवश्य होनी चाहिए और उनका प्रमाणपत्र में नॉन-क्रीमी लेयर अवश्य उल्लेखित होनी चाहिए। नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की वैधता वित्त वर्ष 2018-19 की होगी जो 31 मार्च 2019 के बाद जारी किया गया हो।
- iii. सभी को ज्ञात हो कि अगर जमा किए गए कागजात जाली पाये जाते हैं तो वह विद्यार्थी विश्वविद्यालय और इसके महाविद्यालयों से पाँच वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा और साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 470, 471, 472, 474 आदि के अनुसार उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
- iv. उम्मीदवारों के जिनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए और वे विश्वविद्यालय की मांग के अनुसार अस्थायी प्रमाणपत्र और अंक तालिका जमा नहीं करा सकते, वे अस्थायी प्रवेश के लिए भी योग्य नहीं होंगे।
- v. अंको के प्रतिशत के अंश को पूर्णांकित करना किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुमत नहीं है।
- vi. महाविद्यालय को केवल वर्तमान कट-ऑफ सूचियों के आधार पर उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए विचार करने का अधिकार सुरक्षित है और वे नहीं जो पिछली कट-ऑफ सूचियों में योग्य थे। हालांकि, उम्मीदवार, जो कट-ऑफ सूची में प्रवेश नहीं ले सके, वे तत्काल अगली सूची में प्रवेश के लिए केवल अंतिम तारीख को योग्य माना जा सकता है, अगर कॉलेज/पाठ्यक्रम में सीटें उपलब्ध हैं।

प्रवेश के समय आवेदक को स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट के साथ मूल दस्तावेजों का उत्पादन करना होगा:

- 1 दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र (मार्क-शीट या प्रमाण पत्र) जिसमें जन्मतिथि और माता-पिता के नाम है * (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/सीडब्ल्यू/केएम के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों का नाम संबंधित नामों से मेल खाना चाहिए। इसी तरह उनके माता-पिता के नाम प्रमाणपत्रों के दोनों सेटों में मेल खाने चाहिए)।
- 2 12वीं का अंक प्रमाणपत्र
- 3 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/सीडब्ल्यू/केएम प्रमाण पत्र (आवेदक के नाम पर)। (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / सीडब्ल्यू / केएम के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के नाम उनके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाण पत्र पर दिखाई देने

वाले नामों से मेल खाना चाहिए इसी तरह उनके माता-पिता के नाम प्रमाणपत्रों के दोनों सेटों में मेल खाना चाहिए।

- 4 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र (आवेदक के नाम पर) और जिसकी जाति <http://ncbc,nic,in> द्वारा जारी ओबीसी केंद्रीय सूची में है। (ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदक का नाम आवेदक के नाम के साथ मेल खाना चाहिए क्योंकि यह उनके संबंधित स्कूल बोर्ड के योग्यता प्रमाण पत्र पर दिखाई देता है इसी तरह उनके माता-पिता के नाम दोनों प्रमाणपत्रों के सेट में मेल खाने चाहिए)।
- 5 सक्षम प्राधिकारी से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो प्रमाणित करता हो कि आवेदक इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा कर सकता है। (इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों के नाम उनके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता विवरणों पर दिखाई देने वाले नामों के साथ मेल खाना चाहिए। इसी तरह उनके माता-पिता के नाम प्रमाणपत्रों के दोनों सेटों में मेल खाने चाहिए)।

उम्मीदवारों के प्रवेश के समय महाविद्यालय में निम्न प्रारूपों को भरने की आवश्यकता है:-

- a) एंटी-रैगिंग के लिए उपक्रम प्रारूप (उम्मीदवार के माता-पिता/अभिभावक के द्वारा)
- b) ओबीसी उम्मीदवारों का उपक्रम प्रारूप
- c) वरीयता प्रारूप
- d) वर्ष अंतराल (उपक्रम), यदि आवश्यक हो।
- e) पहचान पत्र की प्रारूप

प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय की मंजूरी के अधीन है।

कॉलेज किसी भी कारण के बिना किसी भी छात्र को प्रवेश से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

शिक्षण अनुसूची

महाविद्यालय 20 जुलाई 2019 (शनिवार) 4:00 pm को अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करेगी और कक्षाएं टाइम टेबल के अनुसार सोमवार से शनिवार तक 3:30 से 9:00 p.m. के बीच आयोजित की जाएंगी।

पहचान पत्र

प्रत्येक छात्र को प्रवेश के तुरंत बाद महाविद्यालय द्वारा एक पहचान-पत्र जारी किया जाता है। छात्र से उम्मीद है कि वह अपने पहचान पत्र को हर समय अपने साथ रखे जिसे महाविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा मांगने पर दिखाना होगा। एक छात्र जो ऐसा करने में विफल रहता है उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है।

पुस्तकालय

पुस्तकालय सोमवार से शक्रवार तक कार्यशील रहता है जिसमें छात्रों और शिक्षकों के लाभ के लिए 68,000 से अधिक किताबें, विभिन्न पत्र-पत्रिकाएं, राष्ट्रीय समाचार-पत्र और अध्ययन सामग्री है।

लाइब्रेरी काउंटर पर उपलब्ध आवेदन-पत्र भरने पर छात्रों को पुस्तकालय के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है। सदस्यता हर साल नवीनीकृत की जाती है। एक छात्र को चार टिकट जारी किए जाते हैं।

छात्रों को दोपहर 3:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक किताबें जारी की जाती हैं। आमतौर पर चौदह दिनों की अवधि के लिए किताबें जारी की जाती हैं।

छात्र पुस्तकों को प्राप्त करने से पहले उसकी स्थिति के बारे में स्वयं को अवश्य संतुष्ट कर ले। वापसी के समय किताब के नुकसान या उत्परिवर्तन के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

किताबों या टिकटों के खो जाने के मामले में तुरंत लाइब्रेरियन को सूचित किया जाना चाहिए, जो इस मामले में आगे की कार्रवाई की सलाह देंगे। खोए गए पुस्तकें 60 कार्य दिवसों की अधिकतम अवधि के भीतर प्रतिस्थापित की जानी चाहिए।

पुस्तकालय के अंदर छात्रों को कोई भी व्यक्तिगत थैला और किताबे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन्हें पुस्तकालय के संपत्ति काउंटर पर रखा जाना चाहिए।

कंप्यूटर सुविधाएं

कॉलेज में 100 से अधिक कंप्यूटरों के साथ वातानुकूलित ई-रिसोर्स सेंटर और कंप्यूटर लैब भी हैं।

कॉलेज अपने छात्रों को वाई-फाई सुविधा भी प्रदान करता है।

शुल्क का भुगतान

शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

योग्य आवेदकों, जिन्हें पहले वर्ष में अस्थायी रूप से भर्ती कराया गया है, को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भुगतान करने के लिए विश्वविद्यालय पोर्टल (www.du.ac.in) में लॉगिन करने की आवश्यकता होगी।

I. छात्रों/अभ्यर्थियों का अनंतिम प्रवेश, जो निर्धारित तिथि और समय तक अपनी फीस चुकाने में विफल रहते हैं, को अमान्य माना जाएगा।

FEE PAYABLE FOR 2019-2020

	Tuition Fee	Rs. 180.00	
	Admission Fee	5.00	
	Identity Card	25.00	UNIVERSITY DUES
	Enrolment Fee	250.00	Athletic Assn. Fee 50.00
	Culture Council Fee	180.00	WUS Fee 5.00
	University Dev. Fee	600.00	NSS Fee 20.00
	COLLEGE DUES		
	Electricity and Water Charges	2100.00	Library and Reading Room Fee
	320.00		Medical Fee 65.00 General
Amenities Fund	800.00		Sports Fee Students' 800.00
	Aid Fund Students'	20.00	Union Fee College 250.00
	Magazine Fee	50.00	Equipments Maint. Fee
	300.00		Development Fund 800.00
	PSH Committee Fee	10.00	Security Deposit (Refundable)
	250.00		TOTAL Rs. 7080.00
			Duplicate Identity Card Fee 100.00
			Examination Fees As Per University Rules

हमारे दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों को फीस के ऑनलाइन भुगतान के लिए निर्देश निम्नानुसार दिया गया है :

1. छात्र ऑनलाइन भुगतान के निम्न माध्यम से अपनी फीस का भुगतान कर सकते हैं :-
 - ए) किसी भी बैंक के माध्यम से नेट बैंकिंग।
 - बी) एटीएम-डेबिट कार्ड
 - सी) क्रेडिट कार्ड
 - डी) चालान के माध्यम से (कोई भी एसबीआई शाखा)

परिणामों की घोषणा के बाद, दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों को ऑनलाइन प्रवेश और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से पहले कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता होगी।

ऑनलाइन भुगतान करने के लिए निर्देश: -

चरण 1: हमारी महाविद्यालय के वेबसाइट (www.mlncce-org) पर जाएं।

चरण 2: हमारी महाविद्यालय वेबसाइट पर ऑनलाइन शुल्क भुगतान विकल्प का चयन करें।

चरण 3: महाविद्यालय क्रमांक संख्या दर्ज करें (उदाहरण: यदि आपका रोल नंबर 15/53212 है, तो उसी तरह से 15/53212 दर्ज करें। अगर आप अपना क्रमांक संख्या 53212 के रूप में दर्ज करते हैं, तो कम्प्यूटर इसे स्वीकार नहीं करेगा।)

चरण 4: भुगतान माध्यम का चयन करें।

चरण 5: ऑनलाइन भुगतान करने के बाद रसीद को प्रिंट आउट करें।

चरण 6: कार्यालय में परीक्षा फॉर्म के साथ ऑनलाइन भुगतान की प्राप्ति जमा करें।

नोट: उन छात्रों का प्रवेश, जो निर्धारित तिथि तक अपनी फीस चुकाने में विफल रहते हैं, रद्द हो जाएगी और उसपर कोई भी वाद-विवाद नहीं किया जाएगा।

निकासी और धनवापसी

एक छात्र जो कॉलेज नामांकन से अपना नाम वापस लेना चाहता है उसे इसके लिए आवेदन जमा करना होगा और महाविद्यालय छोड़ने के छह महीने के अंदर जमा और अन्य बकाया राशि, यदि कोई हो, तो धनवापसी के लिए भी आवेदन करना होगा। महाविद्यालय जमा धनवापसी संबंधित विभागों और व्यक्तियों से निकासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही छात्र को करेगी। निकासी के समय पहचान-पत्र को आत्मसमर्पण किया जाना चाहिए, जिसमें विफल होने पर रु. 100/- जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रवेश की निकासी / रद्द करने के कारण शुल्क की वापसी के नियम

क्रम सं	शुल्क की वापसी के कारण	वापस की जाने वाली शुल्क की राशि
1	जब कोई छात्र प्रवेश की अंतिम तिथि तक प्रवेश वापस लेने के लिए आवेदन करता है	1000/- रुपये की कटौती के बाद पूर्ण शुल्क और पूर्ण परीक्षा शुल्क।
2	जब विश्वविद्यालय/कॉलेज की ओर से अनजाने में त्रुटि/चूक/ भूल के कारण प्रवेश दिया जाता है	पूर्ण शुल्क और पूर्ण परीक्षा शुल्क।
3	जब प्रवेश तथ्यों को छिपाने/गलत तरीके से प्रस्तुत करने, झूठे/फर्जी प्रमाण पत्र (ओं) को प्रस्तुत करने, छात्र द्वारा भ्रामक जानकारी प्रदान करने या छात्र की ओर से किसी त्रुटि / गलती के कारण रद्द होता है।	कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
4	जब सेल्फ-फाइनेंसिंग कोर्स का एक छात्र प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले दाखिले की वापसी के लिए आवेदन करता है।	1000/- रुपये की कटौती के बाद पूर्ण शुल्क और पूर्ण परीक्षा शुल्क।
5	यदि कोई छात्र अपने प्रवेश के बाद प्रवेश की अंतिम तिथि के एक महीने के भीतर मर जाता है।	पूर्ण शुल्क और पूर्ण परीक्षा शुल्क।

शुल्क रियायत और वृत्ति

1. महाविद्यालय द्वारा तैयार नियमों के अधीन गरीब और योग्य छात्रों को शुल्क छूट और अनुदान दिया जा सकता है।
2. फीस-रियायतें और छात्रवृत्ति छात्रों को उनके अच्छे आचरण, नियमित उपस्थिति और अध्ययन में संतोषजनक प्रगति के अधीन दी जा सकती है और यह किसी भी समय छात्र की इच्छा से वापस ले लिया जा सकता है।
3. फीस रियायत या वृत्ति का आनंद लेने वाले छात्र उन्हें खोने के लिए उत्तरदायी होते हैं यदि वे परीक्षा में विफल हो जाते हैं या यदि छात्र का आचरण असंतोषजनक पाया जाता है।

उपस्थिति के संबंध में नियम और विनियमन

विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय परीक्षा में भाग लेने के लिए कम से कम दो तिहाई व्याख्यानों और ट्यूटोरियल/प्रसेप्टोरियल की आवश्यकता है।

यदि कोई छात्र बीमार पड़ता है और महाविद्यालय से अनुपस्थित होता है, तो बीमारी की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रधानाध्यापक को लिखित जानकारी भेजी जानी चाहिए और मेडिकल प्रमाणपत्र कॉलेज में फिर से जुड़ने के एक सप्ताह के अंदर जमा किया जाना चाहिए। एक सप्ताह के बाद कोई मेडिकल प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अगर पिछली अवधि में उपस्थिति 25% से कम है तो एक सेमेस्टर के लिए डीटीसी पास की सुविधा छात्र को नहीं दी जाएगी। छात्रों को महाविद्यालय सूचना पट्ट/कॉलेज वेब साइट से प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में उपस्थिति स्थिति की जांच करने के लिए सलाह दी जाती है। माता-पिता को उनके बेटा-बेटी की उपस्थिति के बारे में जानकारी रखने के लिए अनुरोध किया जाता है।

आंतरिक मूल्यांकन पद्धति

आंतरिक आकलन 25 अंकों और अंत सेमेस्टर परीक्षा 75 अंको का होगी। आंतरिक आकलन में अंकों का वितरण निम्नानुसार होगा :

प्राप्तांक भार

- | | |
|---|----|
| a) उपस्थिति (व्याख्यानों और ट्यूटोरियल/प्रसेप्टोरियल) | 5 |
| b) लिखित असाइनमेंट/ट्यूटोरियल/प्रोजेक्ट रिपोर्ट/सेमिनार | 10 |

इनाम

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छात्रों को वार्षिक समारोह में महाविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित करती है। पुरस्कार तीन श्रेणियों में से हैं।

1. शैक्षणिक उत्कृष्टता

महाविद्यालय स्तर पर अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में मेधा में पहले और दूसरे स्थान के छात्रों को ये पुरस्कार मिलेगा, बशर्ते वे कुल में कम से कम 50% अंक अर्जित किए हों। कोई भी छात्र जो विश्वविद्यालय स्तर पर कुछ अलग प्रदर्शन करता है, उसे एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा।

2. अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ

महाविद्यालय के तहत विभिन्न विषयों में अंतर-श्रेणी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसकी जानकारी निम्न है :

- ए) अंग्रेजी-बहस, निबंध लेखन, अस्वीकरण प्रतियोगिता और पाठ।
- बी) हिंदी-बहस, किवता और लघु कहानी लेखन।
- सी) अवय विभागिप ?वारा आयोजित कोई अवय समारोह।

पुरस्कार प्रत्येक प्रतियोगिता में विजेताओं को दिया जाता है। जो लोग अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों में अद्वितीय प्रदर्शन करते हैं उन्हें भी मेधा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है।

3. खेलकूद

- (ए) वार्षिक खेल मार्च/अप्रैल के महीने में आयोजित की जाती है। पुरस्कार और योग्यता प्रमाणपत्र उन लोगों को दिया जाता है जो इस आयोजन में उत्तम प्रदर्शन करते हैं।
- (बी) कॉलेज क्रैस्ट से निम्नलिखित श्रेणियों के खिलाड़ियों से सम्मानित किया जाता है बशर्ते उन्होंने कॉलेज को अपनी टीम के सदस्यों के रूप में दर्शाया हो :
- (सी) राज्य खिलाड़ी/एथलीट
- (डी) विश्वविद्यालय के खिलाड़ी/एथलीटों
- (ई) उन सभी व्यक्ति जो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं में विजेताओं या उपविजेताएं आते हैं।
- (एफ) इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में विजेताओं, धावक, तीसरे और चौथे टीमों के सभी सदस्य।
- (जी) मान्यता प्राप्त योग्यता के अन्य खिलाड़ी या एथलीट।

महाविद्यालय में बाहर खेले जाने वाले खेलों के प्रावधान हैं। विशेष रूप से फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केट बॉल, कबड्डी और हॉकी के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। एथलीटों के लिए कॉलेज की साइट पर एक 200 मीटर ट्रैक विकसित किया गया है।

शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग शारीरिक शिक्षा के योग्य शिक्षक और विभिन्न टीमों के कप्तानों द्वारा चलाया जाता है। खेल समिति, खेल विभाग की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में खेल प्रभारी की सहायता करती है। उत्कृष्ट और योग्य खिलाड़ियों को सभी मामलों में प्रोत्साहित किया जाता है।

नेशनल कैडेट कोर (NCC)

महाविद्यालय छात्रों को NCC की अनेक गतिविधियों से जुड़ने का मौका देता है।

नेशनल सर्विस स्कीम (NSS)

एनएसएस चुनने वाले छात्र विभिन्न प्रकार की सामुदायिक सेवाओं में भाग लेते हैं। उन्हें कॉलेज द्वारा ली गई परियोजनाओं में से एक को चुनने की आवश्यकता है। प्रति सप्ताह 6 घंटे के नियमित परियोजना के काम के अलावा, छात्रों को छुट्टियों के दौरान कम से कम एक शिविर में भाग लेने की आवश्यकता होती है। इन शिविरों के लिए लॉजिंग, बोर्डिंग और यात्रा प्रतिभागियों को उपलब्ध कराई जाती है।

महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय अपने वार्षिक द्विभाषी पत्रिका "ASMITA" को प्रकाशित करती है जिसमें कॉलेज के सभी सदस्यों द्वारा लिखे गए निबंध, कविताओं, कहानियों और समीक्षा आदि को शामिल किया जाता है। अस्मिता कॉलेज की वार्षिक शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल गतिविधियों की भी रिपोर्ट करता है।

सामान्य नियम:

1. नोटिस बोर्ड/कॉलेज वेबसाइट

छात्रों को सूचना पट्ट/कॉलेज वेबसाइट को कम से कम दो बार देखने की आदत बनानी चाहिए। किसी भी अधिसूचना का अज्ञान किसी भी मामले में किसी देरी/बहाने की याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. शांति का आदेश

छात्रों का गलियारों में आवारागर्दी नहीं होना चाहिए या कक्षा और कार्यालय के पास जोर से बोलना नहीं चाहिए।

3. धूम्रपान नहीं

महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान सख्ती से प्रतिबंधित है।

4. सफाई

कॉलेज लॉन और परिसर को साफ रखा जाना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी जो कॉलेज की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और जो कॉलेज की दीवारों, कक्षाओं और शौचालय में लिखते हैं। कॉलेज परिसर में थूकना भी निषिद्ध है।

5. आगंतुक

छात्रों को कॉलेज के घंटों के दौरान कॉलेज में आगंतुकों का स्वागत/प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। आपात स्थिति के मामले में, केवल माता-पिता आवश्यक सहायता के लिए प्रशासनिक अधिकारी और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) से संपर्क कर सकते हैं।

6. खाली अवधि

कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ने या ई-रिसोर्स सेंटर की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए खाली समय का उपयोग किया जाना चाहिए यदि वे उस समय उपलब्ध हों।

7. टेलीफोन और मोबाइल

कार्यालय टेलीफोन छात्रों के लिए नहीं है। छात्रों से अनुरोध है कि वे व्याख्यान में भाग लेने के दौरान अपने मोबाइल का उपयोग न करें। महाविद्यालय भवन में मोबाइल पर संगीत बजाना और इस तरह व्याख्यान और अन्य अकादमिक गतिविधियों को परेशान करना प्रतिबंधित है। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

7. पार्किंग

छात्रों को कॉलेज के अंदर शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए आरक्षित पार्किंग स्थान में अपने वाहन (स्कूटर/बाइक/कार) पार्क करने की अनुमति नहीं है। कॉलेज परिसर के अंदर पार्क किए गए वाहनों पर बैठे या नुकसान करने वाले छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज में उपस्थित छात्र जो कक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं उनपर जुर्माना लगाया जाएगा।

उपर्युक्त नियमों का अनुपालन नहीं करना अनुशासन-हीनता मानी जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करगी।

अनुशासन

छात्र कॉलेज के प्रिंसिपल और अनुशासन समिति के प्रति अपने आचरण के लिए जिम्मेदार है और कॉलेज के अंदर या बाहर कुछ भी करने से प्रतिबंधित है, जो कि कॉलेज के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप या अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा। एक छात्र अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय ने अध्यादेश XV-B "विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन का प्रबंधन", XV-C "उत्पात (RAGGING) का रोकथाम और दंड" और यौन उत्पीड़न नियमों में संशोधन किया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे संशोधित अध्यादेश XV-B, XV-C, और यौन उत्पीड़न नियमों को ध्यान से पढ़ें।

प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र इस अध्यादेश से संबंधित एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा। अध्यादेश XV-B, XV-C और यौन उत्पीड़न नियम निम्नानुसार हैं।

अध्यादेश

9.1 अध्यादेश XV-B: विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन का प्रबंधन

1. अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां कुलपति में निहित हैं।
2. कुलपति सभी या ऐसी शक्तियों को अपने प्रतिनिधि को दे सकता है जो प्रोक्टर और ऐसे अन्य व्यक्तियों को उचित मानता है जैसा कि वह इस ओर निर्दिष्ट कर सकते हैं।
3. अध्यादेश के तहत अनुशासन को लागू करने के लिए शक्ति की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना निम्नलिखित कृत्यों को अनुशासन-हीनता मानी जाएगी:
 - a) किसी भी संस्थान/विभाग के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के किसी भी सदस्य और दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र के खिलाफ शारीरिक हमले, या शारीरिक बल का उपयोग करने का खतरा।
 - b) किसी भी हथियार को रखना, उपयोग करने या उपयोग करने की धमकी।
 - c) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन।
 - d) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन।
 - e) कोई अम्यास-चाहे महिलाओं का मौखिक या अन्यथा अपमानजनक हो।
 - f) किसी भी तरह से रिश्तत या भ्रष्टाचार पर कोई प्रयास।
 - g) संस्थागत संपत्ति का सोचा समझा विनाश।
 - h) धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर कटुता या असहिष्णुता फैलाना।
 - i) विश्वविद्यालय प्रणाली के अकादमिक कामकाज में किसी भी तरीके से व्यवधान;
 - j) अध्यादेश XV-C के अनुसार रैगिंग का निषेध।
4. अनुशासन के रखरखाव से संबंधित अपनी शक्तियों की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और अनुशासन को बनाए रखने के हित में ऐसी कार्रवाई करने के लिए उसे उचित लग सकता है, कुलपति, उसके प्रयोग में छात्र के लिए निम्न आदेश जारी कर सकता है –
 - a) निष्कासित किया।
 - b) एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित हो।
 - c) एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक कॉलेज, विभाग या पाठ्यक्रम में अध्ययन से वंचित
 - d) निश्चित राशि के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है।
 - e) एक या अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज या विभागीय परीक्षा से वंचित रहें।
 - f) परीक्षा या परीक्षाओं में संबंधित छात्र या छात्रों का नतीजा जिसमें वे या वे प्रकट हुए हैं, रद्द कर दिए जाएंगे।
5. कॉलेजों के प्रधानाचार्य, हॉल के प्रमुख, संकाय के डीन, विश्वविद्यालय में शिक्षण विभाग के प्रमुख, प्रिंसिपल, ओपन लर्निंग स्कूल और लाइब्रेरियन के पास अपने संबंधित कॉलेजों, संस्थानों, संकाय, और शिक्षण विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा जो कि संबंधित संस्थानों, हॉल और शिक्षण विभागों के उचित संचालन के लिए आवश्यक हो सकता है। वे अपने अधिकारों का उपयोग अपने कॉलेजों, संस्थानों या विभागों में ऐसे शिक्षकों को प्राधिकरण के माध्यम से या प्राधिकरण को सौंप सकते हैं क्योंकि वे इन उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं।
6. अनुशासन और उचित आचरण के विस्तृत नियमों को कुलपति और प्रोक्टर की शक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना तैयार किया जाएगा। इन नियमों को अनुपूरक नियम, जहां आवश्यक हो, कॉलेजों के प्रिंसिपल, हॉल के प्रमुख, संकाय के डीन और शिक्षण विश्वविद्यालय के प्रमुखों द्वारा तैयार किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र को इन नियमों से अवगत होने की उम्मीद की जाएगी।

प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि प्रवेश पर वह स्वयं को कुलपति के अनुशासनिक क्षेत्राधिकार और विश्वविद्यालय के कई अधिकारियों को प्रस्तुत करता है जिन्हें अनुशासन का प्रयोग करने के अधिकार के साथ निहित किया जा सकता है अधिनियमों, संविधानों, अध्यादेशों और नियमों के तहत जो विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए हैं।

9.2 अध्यादेश - XV-C उत्पात (रैगिंग) के लिए दंड और रोकथाम :

1. किसी भी रूप में रैगिंग महाविद्यालय/विभाग या संस्थान के परिसर और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन के किसी भी हिस्से के भीतर सख्ती से प्रतिबंधित है।

2. रैगिंग का कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक कार्य या अभ्यास सकल अनुशासन-हीनता माना जाएगा और इस अध्यादेश के तहत निपटाया जाएगा।
3. इस अध्यादेश के तहत रैगिंग, आमतौर पर रैगिंग का मतलब उस आचरण या अभ्यास से है जिसके द्वारा वरिष्ठ छात्र प्रभाव, शक्ति या स्थिति को नए नामांकित छात्रों को सहने के लिए मजबूर करते हैं और व्यक्तिगत या सामूहिक कृत्यों या प्रथाओं से उनको इसके लिए परेशान किया जाता है; और को शामिल करता है जो –
 - a) शारीरिक बल का उपयोग हमला या खतरा शामिल है।
 - b) महिला छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन करें।
 - c) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्रों की स्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन करें।
 - d) छात्रों के आत्म-सम्मान को उपहास और अवमानना से प्रभावित करें।
 - e) मौखिक व्यवहार और आक्रामकता, अश्लील संकेत और अश्लील व्यवहार शामिल हैं।
4. कॉलेज के प्रिंसिपल, विभाग/संस्थान के प्रमुख, कॉलेज के अधिकारियों, या विश्वविद्यालय छात्रावास या निवास के हॉल रैगिंग की घटना की किसी भी जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।
5. उपरोक्त धारा (4) में कुछ भी होने के बावजूद, प्रोक्टर भी रैगिंग की किसी भी घटना में पूछताछ कर सकता है और उन लोगों की पहचान कर कुलपति को रिपोर्ट कर सकता है, जो इस घटना की प्रकृति और प्रकृति में शामिल हैं।
6. प्रोक्टर रैगिंग के अपराधियों और रैगिंग घटना की प्रकृति की पहचान स्थापित करने वाली एक प्रारंभिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है।
7. यदि कॉलेज के प्रिंसिपल, विभाग/संस्था के प्रमुख या प्रोक्टर संतुष्ट हैं कि किसी कारण से, लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, तो ऐसी जांच करने के लिए उचित व्यावहारिक नहीं है, वह तदनुसार कुलपति को सलाह दे सकता है।
8. जब कुलपति संतुष्ट है कि ऐसी जांच करना उपयुक्त नहीं है, तो उसका निर्णय अंतिम होगा।
9. धारा 3 (ए), (बी) और (सी) में वर्णित रैगिंग घटनाओं की घटना का खुलासा खंड(7) के तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा क्लॉज (5) या (6) या प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा एक निर्धारण की प्राप्ति पर, कुलपति एक विशिष्ट संख्या के वर्षों के लिए छात्र या छात्रों के रद्दीकरण को निर्देशित या आदेश देंगे।
10. कुलपति रैगिंग के अन्य मामलों में आदेश या निर्देश दे सकता है कि किसी भी छात्र या छात्रों को एक अवधि के लिए निष्कासित या नहीं किया जा सकता है, एक कॉलेज में अध्ययन के पाठ्यक्रम में भर्ती कराया जाता है, एक या अधिक वर्ष के लिए विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं में संबंधित छात्र या छात्रों के परिणाम जिन्हें वे रद्द कर दिए गए हैं।
11. यदि किसी भी छात्र जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किए हैं और दोषी पाए जाते हैं; इस अध्यादेश के तहत, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री या डिप्लोमा वापस लेने के लिए धारा 15 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
12. इस अध्यादेश के उद्देश्य के लिए, किसी भी कृत्य के माध्यम से, रैगिंग का अभ्यास करने के लिए, रैगिंग की उत्तेजना का भी आकलन करना होगा।
13. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर सभी संस्थानों को इस अध्यादेश के तहत जारी निर्देश/निर्देशों को पूरा करने और अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए कुलपति को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य किया जाएगा।

नोट: अध्यादेश XV-C के क्रियान्वयन के लिए कुलपति का आदेश इस अध्यादेश के तहत किसी भी प्राधिकारी द्वारा कुलपति को सूचना की गई है, रैगिंग में शामिल छात्रों को एक आदेश से निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा, जो गैर-छात्र रिपोर्ट में शामिल हैं उनको भारत के आपराधिक कानून के तहत सजा दी जाएगी; उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में नामांकन मांगने से पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा; जिन छात्रों के खिलाफ इस नोट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है, उन्हें प्राकृतिक न्याय के नियमों का सख्ती से पालन करने के बाद, निर्णय लेने की सुनवाई दी जाएगी।

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (MINISTRY OF LAW AND JUSTICE)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम।

यौन उत्पीड़न महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार के साथ किसी

पेशे का अभ्यास करने या व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार है जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त एक सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी शामिल है;

और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और उपकरणों द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त है, जैसे महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने पर सम्मेलन, जिसे 25 जून, 1993 को भारत सरकार ने अनुमोदित किया था। इस प्रकार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए सम्मेलन में पारित नियमों के अनुसार अधिनियम बनाने की आवश्यकता है। विस्तार के लिए वेबसाइट देखें: <http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/142013.pdf>.

**Dr. (Mrs.) Vichitra
Dr. Anjali Aggarwal**

**Principal (Offg.)
Bursar**

**M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A., M.Phil, Ph.D**

TEACHING / ACADEMIC FACULTY

ENGLISH DEPARTMENT

(Mrs.) Uma Chaudhary (On Leave) Associate Professor
Dr. Rajesh Kumar Assistant Professor
Dr. Hema Dahiya Assistant Professor
Ms. Swagata Roy Associate Professor
Dr. Pradip Sharan Associate Professor
Dr. (Mrs.) Jyoti Jakhar Dahiya Assistant Professor

M.A., M.Phil
M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A., Ph.D.
M.A.
M.A., Ph.D. (Teacher-in-Charge)
M.A., M.Phil, Ph.D.)

HINDI DEPARTMENT

Dr. Vidya Shankar Singh Associate Professor
Dr. (Mrs.) P. L. Sharma Associate Professor
Dr. Pushkar Singh Assistant Professor
Dr. Ashwani Kumar Assistant Professor
Dr. Brij Kishore Associate Professor
Dr. Rajesh Kumari Assistant Professor
Sh. Kana Ram Meena Assistant Professor

M.A., Ph.D. (Teacher-in-Charge)
M.A., Ph.D.
M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A., M.Phil

ECONOMICS DEPARTMENT

Dr. (Mrs.) Priya Bhalla (On Leave) Assistant Professor
Dr. (Mrs.) Anjali Aggarwal Assistant Professor

M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A., Ph.D.

Dr. Bishnu Charan Nag Assistant Professor

M.A., Ph.D. (Teacher Incharge)

POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT

Dr. (Mrs.) Sushma Gupta Associate Professor
Dr. (Mrs.) Vichitra Garg Associate Professor
Dr. R. K. Sinha Associate Professor
Dr. G. N.Trivedi Associate Professor
Dr. Prahlad Kumar Bairwa Assistant Professor
Dr. Radhanath Tripathy Associate Professor

M.A., Ph.D.
M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A., M.Phil, Ph.D. (Teacher-in-Charge)
M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A., Ph.D.

COMMERCE DEPARTMENT

Sh. Vijay Singh Associate Professor
Mrs. Renu Govila Associate Professor
Mrs. Poonam Khanna Associate Professor
Sh. Rajnish Kumar Kler Assistant Professor

M.Com, M.Phil (Teacher-in-Charge)
M.Com, M.Phil
M.Com, M.Phil
M.Com, M.Phil

Dr. M.A. Honest Mohideen Assistant Professor
Mrs. Neelu Grover (On Leave) Assistant Professor

M.Com, M.B.A.Ph.D
M.Com, M.Phil

HISTORY DEPARTMENT

Dr. V.K. Jha Associate Professor
Sh. Dinesh Varshney Associate Professor

M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A., M.Phil.

Dr. P.C. Chaudhary Associate Professor
Sh. Hans Raj Assistant Professor
Dr. Rajesh Kumar Associate Professor
Sh. Prem Kumar Assistant Professor
Dr. Pintu Kumar Assistant Professor

M.A., M.Phil. Ph.D
M.A., M.Phil. Teacher –in- Charge)
M.A., M.Phil, Ph.D.
M.A.
M.A., Ph.D.

MATHEMATICS DEPARTMENT
PHYSICAL EDUCATION
ENVIRONMENTAL SCIENCE

Assistant Professor

Mrs. Renu Govila (Teacher-in-Charge)

Assistant Professor

Dr. Prahlad Kumar Bairwa (Teacher-in- Charge)

Assistant Professor

Sh. Kana Ram Meena (Teacher-in-Charge)

Medical Officer

Aneet Wadhwa

Medical Officer
(On Contract)

M.B.B.S. P.G.D.M.C.H.

ADMINISTRATIVE STAFF

Sh. Rajesh Handoo

Administrative Officer Sh. Sharwan Kumar

Administrative Officer Sh. Shalendra Kumar Sharma

Sr. P.A. to the Principal

Sh. Gulshan Kumar

Section Officer (A/cs.)

Sh. Rajeev Dutta

Senior Assistant [Oftg. S.O. (Admn.)]

Sh. Pramod Kumar

Assistant

Sh. Daljeet Singh

Assistant

Sh. Sukh Ram

Jr. Assistant

Sh. Sudhir Kumar

Assistant (Contractual Basis)

Sh. Siddharth Kumar

Jr. Assistant (Contractual Basis)

Ms. Sneha

Jr. Assistant (Contractual Basis)

E-RESOURCE CENTER & COMPUTER LAB**STAFF**

Sh.

Shantanu

Mohanty

Electrician

Library Staff

Librarian

Vacant

Sh. R.S. Joshi Prof. Asstt. (Offg. Librarian)

Sh. Pan Singh Lib. Attendant

Smt. Sunita Kumari Lib. Attendant

Sh. Ravi Tiwari Lib. Attendant

Sh. Baboo Ram Lib. Attendant

OFFICE STAFF

Sh. Chander Prakash

Sh. Surender Kumar Yadav

Sh. Mohan Lal Gaur

Sh. Harender Singh

Sh. Rajender Kumar Meena

Sh. Kamal

Sh. Imran Khan

Sh. Vikas Sharma

Sh. Rashid (Contractual Basis)

IMPORTANT DATES SEMESTER I/III/V/VII

SEMESTER I/III/V/VII

Classes Begin	20 th July, 2019 (Saturday)
Mid-Semester Break	07 th October, 2019 (Monday) to 13 st October, 2019 (Sunday)
Classes begin after Mid-Semester Break	14 th October, 2019 (Monday)
Dispersal of Classes, Preparation leave and Practical Examinations begin	16 th November, 2019 (Saturday)
Theory Examinations begin	30 ^h November, 2019 (Saturday)
Winter Break	17 th December, 2019 (Tuesday) to 31 st December, 2019 (Tuesday)

SEMESTER II/IV/VI/VIII

Classes Begin	1 st January, 2020 (Wednesday)
Mid-Semester Break	09 th March, 2020 (Monday) to 15 th March, 2020 (Sunday)
Classes begin after Mid-Semester Break	16 th March, 2020 (Monday)
Dispersal of Classes, Preparation leave and Practical Examinations begin	28 th April, 2020 (Tuesday)
Theory Examinations begin	11 th May, 2020 (Monday)
Summer Vacation	26 th May, 2020 (Tuesday) to 19 th July, 2020 (Sunday)

खंडन

बुलेटिन इस जानकारी की सामग्री की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए सभी प्रयास की गई है। हालांकि, विश्वविद्यालय के प्रासंगिक नियम, विनियम, अध्यादेश और अधिनियमों में निहित जानकारी अंतिम होगी।

इस बुलेटिन में निहित जानकारी केवल संकेतक है और इसका उपयोग कानूनी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

डॉ प्रहलाद कुमार बैरवा राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफसर को एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी और श्री प्रेम कुमार इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर को धूम्रपान विरोधी अभियान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

“दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली पुलिस और वर्ल्ड लंग फ़ाउंडेशन साउथ एशिया के साथ सहभागिता में तम्बाकू-रहित वातावरण को प्रोत्साहित कर रहा है। इस दिशा में एक कदम उठाते हुए हमारे महाविद्यालय में धूम्रपान प्रतिबंधित है।”

नोट: माता-पिता से अनुरोध है कि वे अपने पुत्र/पुत्री की प्रगति और नियमितता की निगरानी के लिए कम से कम एक सेमेस्टर में एक बार महाविद्यालय अवश्य आए।

ADMISSION SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2019-20

Activity	Date
1 Notification of First Admission List by the College	Thursday 20 June, 2019
2 Document verification, and approval of admission	Thursday, 20 June to Saturday 22 June, 2019
3 Notification of Second Admission List by the College	Tuesday, 25 June, 2019
4 Document verification and approval of admission	Tuesday, 25 June to Thursday, 27 June, 2019
5 Notification of Third Admission List by the College	Saturday, 29 June, 2019
6 Document verification and approval of admission	Saturday, 29 June to Tuesday, 02 July, 2019 (Except Sunday)
7 Notification of Fourth Admission List by the College	Thursday, 04 July, 2019
8 Document verification and approval of admission	Thursday, 04 July to Saturday, 06 July, 2019
9 Notification of Fifth Admission List by the College	Tuesday, 09 July, 2019
10 Document verification and approval of admission	Tuesday, 09 July to Thursday, 11 July 2019

Time for Admission: 02.00 P.M. to 06.00 P.M. for Evening College

College Website & Prospectus Committee:

1. Dr. Pintu Kumar, Convener
2. Dr. Prahalad Kumar Bairwa, Member
3. Dr. (Mrs) Rajesh Kumari, Member

Important Telephone Nos. with Names

Dr. (Mrs) Vichitra. (Oftg. Principal)	:	011-24110030
Dr. Pintu Kumar, Convener, Discipline Committee	:	011-24110030
24x7 Toll Free Anti-Ragging Help line No	:	1800-180-5522
E-mail Address	:	helpline@antiragging.in
Joint Control Room (South Delhi Campus)	:	24119832
Convener, Admission Committee		
Dr. Prahalad Kumar Bairwa	:	011-24110030
Grievances Committee Admission		
Dr. V.K. Jha, Convener	:	011-24110030

Dr. G. N. Trivedi : 011-24110030
Dr. (Mrs.) Prem Lata Sharma : 011-24110030

Special Categories Admission Enabling Committee

Dr. Pintu Kumar, Convener : 011-24110030
Sh. Prem Kumar, Member : 011-24110030
Sh. Rajnish Kumar Kler, Member : 011-24110030
Sh. Kana Ram Meena, Member : 011-24110030